रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1927] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ़ 16, 1939
No. 1927] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ASADHA 16, 1939

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

का.आ. 2163(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ तैंतीसवां संशोधन नियम, 2017 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम,1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में,—

(क) "17. गृह मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उप-शीर्षकों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"17क. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय";

(ख) "40. शहरी विकास मंत्रालय" तथा "40क. आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय" शीर्षकों का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. वाणिज्य विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 32 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"33. संभार तंत्र सेक्टर का एकीकृत विकास ।";

(ख) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. आन्तरिक सुरक्षा विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 47 में, "शहरी विकास मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर, "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "गृह मंत्रालय" शीर्षक, और तत्संबंधी उप-शीर्षकों तथा प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्तियां, चाहे वे भूमि हों या भवन, अर्थात्:

   (क) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों;

   (ख) ऐसे भवन या भूमि, जिनके निर्माण या अर्जन के लिए वित्तपोषण सिविल संकर्म बजट से भिन्न बजट से किया गया हो;

   (ग) ऐसी भूमि या भवन, जिनका नियंत्रण उनके निर्माण या अर्जन के समय या उसके पश्चात् स्थायी रूप से अन्य मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो।

2. सभी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अन्तर्गत, सड़कों को छोड़कर और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित और उनके भवनों को छोड़कर, संघ राज्य क्षेत्रों के सिविल संकर्म और भवन भी हैं।

3. उद्यान कृषि संक्रियाएं।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन।

5. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन। महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन।

7. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन।

8. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना, ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन।

9. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रकाशन भी हैं।

10. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड को आबंटित कार्य-मदों के अधीन रहते हुए रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय।

11. ऐसी रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों से भिन्न जो भारतीय रेल द्वारा वित्तपोषित हैं, रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा भाड़ों का नियतन।

12. नगर निगम सीमाओं या किसी अन्य संलग्न क्षेत्र के भीतर ट्रामवे, जिसके अन्तर्गत उन्नत द्रुतगामी ट्राम भी हैं।

13. नगर और ग्राम योजना; महानगरीय क्षेत्रों की योजना और विकास से संबंधित विषय, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

14. दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास और निपटान की योजनाएं।

15. दिल्ली विकास प्राधिकरण।

16. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय।

17. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण।

18. सरकारी कालोनियों का विकास।

19. स्थानीय सरकार, अर्थात् नगर निगमों का (दिल्ली नगर निगम को छोड़कर), नगर पालिकाओं का (नई दिल्ली नगर पालिका समिति को छोड़कर) और पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर अन्य स्थानीय स्वायत्त शासनों का गठन और उनकी शक्तियां।

20. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम।

21. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मलव्ययन, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से जुड़ाव । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।

22. केन्द्रीय स्थानीय स्व-शासन परिषद् ।

23. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।

24. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।

25. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।

26. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटैक) से संबंधित विषय ।

27. आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से संबंधित सभी विषय ।

28. आवास नीति और कार्यक्रम तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है), योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।

29. मानव बस्तियां, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती आयोग तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी हैं ।

30. शहरी विकास, जिसके अंतर्गत मलिन बस्ती सफाई योजनाएं तथा झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजनाएं भी हैं। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

31. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।

32. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रम भी हैं ।

33. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।

34. दिल्ली होटल (आवासन का नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।

35. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) ।

36. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन ।

37. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) ।

38. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) ।

39. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) ।";

(घ) "रेल मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 2 में, "शहरी विकास विभाग" शब्दों के स्थान पर "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ड.) "शहरी विकास मंत्रालय" तथा "आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय" शीर्षकों और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[मि. सं. 1/21/4/2017-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

S.O. 2163(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Third Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in THE FIRST SCHEDULE,—

(a) after the heading "17. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)", and sub-headings thereto, the following heading shall be inserted, namely:—

"17A. Ministry of Housing and Urban Affairs (Awasan aur Shahari Karya Mantralaya)";

(b) the headings "40. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)" and "40A. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (Awasan aur Shahari Garibi Upshaman Mantralaya)" shall be omitted;

(2) in THE SECOND SCHEDULE,—

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", after entry 32, the following entry shall be inserted, namely:—

"33. Integrated development of Logistics Sector.";

(b) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)", in entry 47, for the words "Ministry of Urban Development", the words "Ministry of Housing and Urban Affairs" shall be substituted;

(c) after the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (AWASAN AUR SHAHARI KARYA MANTRALAYA)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions, namely:—

(a) those belonging to the Ministry of Defence, the Ministry of Railways and the Department of Atomic Energy and the Department of Space;

(b) buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget;

(c) buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government civil works and buildings including those of Union territories excluding roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways, Department of Posts, Department of Telecommunications, Department of Atomic Energy and the Department of Space.

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

8. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.

9. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.
10. Planning and coordination of urban transport systems with technical planning of rail based systems being subject to the items of work allocated to the Ministry of Railways, Railway Board.
11. Fixing of maximum and minimum rates and fares for rail-based urban transport systems other than those funded by the Indian Railways.
12. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.
13. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and Technical Assistance in this field.
14. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.
15. Delhi Development Authority.
16. Master Plan of Delhi, coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.
17. Erection of memorials in honour of freedom fighters.
18. Development of Government colonies.
19. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.
20. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.
21. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International Cooperation and Technical Assistance in this field.
22. The Central Council of Local Self-Government.
23. Allotment of Government land in Delhi.
24. Administration of Rajghat Samadhi Committee.
25. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).
26. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).
27. All matters relating to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO).
28. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.
29. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Cooperation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.
30. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and Technical Assistance in this field.
31. National Cooperative Housing Federation.
32. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation including other programmes evolved from time to time.
33. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).
34. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation) Act, 1949 (24 of 1949).
35. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).
36. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).
37. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).
38. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).
39. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974).";

(d) under the heading "MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)", in entry 2, for the words "Department of Urban Development", the words "Ministry of Housing and Urban Affairs" shall be substituted;

(e) the headings "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)" and "MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (AWASAN AUR SHAHARI GARIBI UPSHAMAN MANTRALAYA)" and entries relating thereto shall be omitted.

PRANAB MUKHERJEE
PRESIDENT

[F. No. 1/21/4/2017-Cab.]

RACHNA SHAH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जूलाई, 2017

का.आ. 2164(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ चौंतीसवां संशोधन नियम, 2017 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 54 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"54क. अनुसंधान के सिवाय कृषिवानिकी से संबंधित सभी विषय।";

(ख) "नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"3क. वाणिज्यिक वायव-संबंधित विनिर्माण तथा उसके पारिस्थितिकी तंत्र का विकास ।";

(ग) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. रक्षा उत्पादन विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 12क का लोप किया जाएगा।

(घ) "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 38 और प्रविष्टि 39 का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रविष्टि 47 के पश्चात तथा टिप्पण के पहले, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"48. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)।";

(ड.) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 7 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"7क. ऐसे सेक्टरों, जिनका किसी विनिर्दिष्ट विभाग को आबंटन नहीं किया गया है, में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित सेक्टरीय मुद्दे ।

7ख. स्वादों और सुगंधों का विकास ।" ।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2017-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

S.O. 2164(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Fourth Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE (KRISHI, SAHKARITA EVAM KISAN KALYAN VIBHAG)", after entry 54, the following entry shall be inserted, namely:—

"54A. All matters relating to Agroforestry except research.";

(b) under the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)", after entry 3, the following entry shall be inserted, namely:—

"3A. Development of commercial aero-related manufacturing and its eco-system.";

(c) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION (RAKSHA UTPADAN VIBHAG)", entry 12A shall be omitted.

(d) under the heading "MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)",-

(i) entries 38 and 39 shall be omitted;

(ii) after entry 47 and before the NOTE, the following entry shall be inserted, namely:—

"48. The National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010).";

(e) under the heading "MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SUKSHMA LAGHU AUR MADHYAM UDYAM MANTRALAYA)", after entry 7, the following entries shall be inserted, namely:—

"7A. Sectoral issues of Micro, Small and Medium Enterprises in sectors which are not allocated to any specific Department.

7B. Development of flavours and fragrances.".

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/22/1/2017-Cab.]

RACHNA SHAH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.07 23:07:07 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.